



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय:— जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक: 20 जुलाई, 2023 से 28 नवम्बर, 2023 तक सीलमुक्त की गई बिल्डिंग्स की सूची जेडीए बेबसाईड पर अपलोड किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक: 20 जुलाई, 2023 से 28 नवम्बर, 2023 तक सीलमुक्त की गई बिल्डिंग्स की सूची जेडीए बेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:—सीलमुक्त की गई बिल्डिंग्स की सूची।


(धर्मेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन

सिस्टम एनालिस्ट,

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/मुनिप्र/वनिस/2023/डी-4131

दिनांक: 04/12/2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रवर्तन प्रकोष्ठ में जोनबार दिनांक: 20.07.2023 से 28.11.2023 तक सील मुक्त किये गये भवनों की सूची

क्र. सं.	जोन	सील किये गये भूखण्डों का विवरण	सील करने की दिनांक	सील करने का कारण	माननीय न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एस.ओ.पी. की पालना के संबंध में पारित आदेश
1.	1	भूखण्ड सं.-2, शंकर मिष्ठान भण्डार, गांधी नगर मोड़, ओझा जी का बाग, जयपुर	08.11.2019	जविप्रा की बिना अनुमति-स्वीकृति के उक्त भूखण्ड में ग्राउण्ड फ्लोर पर शंकर मिष्ठान भण्डार संचालित किये जा रहे पर प्रथम तल, द्वितीय तल व तृतीय तल का निर्माण किया जा रहा है। दुकान के पीछे नया निर्माण करने पर जविप्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के नोटिस दिनांक: 11.06.2019 को जारी कर दिनांक: 07.11.2019 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक: 08.11.2019 को उक्त परिसर प्रथम, द्वितीय, तृतीय मंजिल एवं शंकर मिष्ठान भण्डार के पीछे नये अवैध निर्माण को सील किया गया।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 463/22 में पारित निर्णय दिनांक: 06.09.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 21.11.2023 को 06 माह की अवधि के लिए सीलमुक्त किया गया।
2.	1	भूखण्ड सं. ए-420, मालवीय नगर, जयपुर	24.02.2020	सेटबैक में बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर वायलेशन कर बेसमेंट+03 मंजिला वृहद व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक: 31.12.2018 को जविप्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के नोटिस जारी करने के उपरांत भी अवैध निर्माण जारी रखने पर दिनांक: 21.02.2020 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक: 24.02.2020 को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 686/22 में पारित निर्णय दिनांक: 23.09.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 25.08.2023 को भूस्वामी द्वारा स्वयं के स्तर पर अवैध निर्माण हटाने हेतु उक्त भवन को 06 माह की अवधि के लिए सीलमुक्त कर लिया गया।
3.	4	भूखण्ड सं. 52, गैर अनुमोदित आवासीय योजना जय जवान कॉलोनी-तृतीय, जयपुर	09.05.2023	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेंट+04 मंजिला गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का निर्माण करने पर दिनांक: 07.02.2023 को जविप्रा अधिनियम की धारा 32, 33 के नोटिस जारी करने के उपरांत भी अवैध निर्माण जारी रखने पर दिनांक: 08.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर दिनांक: 09.05.2023 को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 383/23 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 29.09.2023 को सीलमुक्त किया गया।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2572515) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (7214); फैक्स- +91-141-2575151



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

4.	5	भूखण्ड सं. 42, 43 गोविन्द विहार विस्तार, गोपालपुरा जयपुर।	16.03.2023	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बिना जविप्रा से एकीकरण करवाये भूखण्डों को सयुक्त कर सेटबेक कवर कर 03 मंजिला का निर्माण कर चतुर्थ मंजिल पर पिल्लर खड़े कर लिये जाने पर दिनांक 14.09.2023 को बिल्डिंग को सील किया गया था।	राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ. पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 14.09.2023 को सीलमुक्त किया गया।
5.	5	भूखण्ड सं. 295 राणी सतीनगर जयपुर	01.02.2021	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर ग्राउन्ड+4 मंजिल का निर्माण करते हुए पिछे के सैटबेक को कवर करने पर दिनांक 01.02.2021 को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर मे दायर अपील सं. 49/21, 66/21 व 130/21 में परित निर्णय दिनांक 02.08.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 25.09.2023 को सीलमुक्त किया गया।
6.	5	भूखण्ड सं. 30 पटेल नगर हवा सडक	05.01.2021 पुनः सील 24.02.2023	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेंट+ग्राउन्ड+03 मंजिल का व्यावसायिक निर्माण करने पर दिनांक 05.01.2021 पुनः सील 24.02.2023 को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर मे दायर अपील सं. 438/22 में परित निर्णय दिनांक 23.06.2022 व रिव्यू सं. 25/22 में परित निर्णय दिनांक 13.07.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 08.11.2023 को सीलमुक्त किया गया।
7.	6	गैर अनुमोदित आवासीय योजना अशोक विहार भूखण्ड सं. 38	22.09.2022	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेंट+ग्राउन्ड+03 मंजिल का व्यावसायिक निर्माण कर चतुर्थ तल पर निर्माण किये जाने पर दिनांक 22.09.2022 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ. पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 27.10.2023 को सीलमुक्त किया गया।
8.	7	भूखण्ड सं. 116 गिरनार कॉलोनी मन्दिर मार्ग जयपुर	27.03.2021	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेंट+05 मंजिला का व्यावसायिक निर्माण कर कुल 34 कमरे मय लेट बाथ का अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक 27.03.2021 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ. पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 09.10.2023 को सीलमुक्त किया गया।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-2572515) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7214}; फैक्स- +91-141-2575151



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

9.	7	भूखण्ड सी-4/151 चित्रकुट जयपुर सं. ए योजना	02.08.2022	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर पूर्व निर्मित निर्माण में नये सिरे अल्ट्रेशन /रिनोवेशन कर बेसमेंट+04 मंजिला बिल्डिंग में उपरी छत का विस्तार करते हुए 07 फ्लैट्स का व्यावसायिक निर्माण किये जाने पर दिनांक 02.08.2022 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ. पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 18.08.2023 को सीलमुक्त किया गया।
10.	8	गैर आवासीय भूखण्ड सं. 81, सचिवालय विहार रिको कां-ग्र जयपुर। अनुमोदित योजना	30.08.2022	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर 05 मंजिला बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक 30.08.2022 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 890/22 में परित निर्णय दिनांक 09.11.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक: 09.12.2022 को सीलमुक्त किया गया।
11.	8	जविप्रा की अनुमोदित योजना सुन्दर नगर बाढ़ मोहनपुरा एस्कॉन रोड भूखण्ड सं. सी-5 व सी-6	15.12.2022	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ वृद्ध गोदाम का अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक 15.12.2022 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 1010/22 में परित निर्णय दिनांक 03.01.2023 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ भू-स्वामी द्वारा स्वयं के स्तर पर सीलमुक्त कर लिया गया।
12.	8	भूखण्ड सं. वाई-245 महावीर नगर वाई ब्लॉक सांगानेर जयपुर	30.08.2022	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेंट+ग्राउण्ड+प्रथम मंजिल का व्यावसायिक निर्माण कर सैटबेक कवर करते हुए अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक 30.08.2022 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 777/22 में परित निर्णय दिनांक 12.10.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ भू-स्वामी द्वारा स्वयं के स्तर पर सीलमुक्त कर लिया गया।
13.	8	भूखण्ड सं. 254, 255 महावीर नगर, सांगानेर जयपुर	30.08.2022	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेंट+ग्राउण्ड+प्रथम मंजिल की छत डालकर द्वितीय मंजिल के लिए शटरिंग करने पर व्यावसायिक निर्माण किये जाने पर दिनांक 30.08.2022 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 775/22 व 776/22 में परित निर्णय दिनांक 12.10.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ. पी. की पालना की शर्तों के साथ भू-स्वामी द्वारा स्वयं के स्तर पर सीलमुक्त कर लिया गया।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2572515) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7214}; फ़ैक्स- +91-141-2575151



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

14.	9	भूखण्ड सं. 332, 333 कुसम विहार जगतपुरा जयपुर	08.06.2021	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेंट+ग्राउण्ड+प्रथम+द्वितीय मंजिल की छत डालकर तृतीय मंजिल पर आरसीसी के पिल्लर खड़े कर अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक 08.06.2021 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ. पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 20.10.2023 को सीलमुक्त किया गया।
15.	10	भूखण्ड सं. 1, 2, 3 ओम शिव नगर, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर	17.05.2023	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर 300 वर्गगज में अवैध निर्माण किये जाने पर दिनांक 17.05.2023 को उक्त बिल्डिंग को सील किया गया था।	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पीटीशन नं. 9815/2023 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2023 की पालना में एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 19.10.2023 को सीलमुक्त किया गया।
16.	11	जविप्रा की अनुमोदित आवासीय योजना गुलाब विहार, ग्राम मुहाना भूखण्ड सं. 12, 13, 14, 29, 30, 31, 36, 37 व 38	03.06.2016	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बिना पुर्नगठन करवाये स्टील्ड+ग्राउण्ड+प्रथम+द्वितीय+तृतीय मंजिल का निर्माण कर 144 फ्लैटों का अवैध निर्माण कर लेने एवं 32 फ्लैटों निवास होने के कारण 32 फ्लैटों को छोड़कर 112 फ्लैटों को दिनांक 03.06.2016 को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 375/16, 377/16, 379/16 में परित निर्णय दिनांक 28.02.2023 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ दिनांक 17.11.2023 को सीलमुक्त किया गया।
17.	पीआरएन-साउथ	भूखण्ड सं. 18 रतनसागर कॉलोनी एस्कॉन रोड जयपुर	10.02.2021	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन करते हुए सैटबेक कर कुल 04 मंजिला वृद्ध निर्माण कर 09 फ्लैट्स का अवैध निर्माण कर लेने पर दिनांक 10.02.2021 को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 51/22 में परित निर्णय दिनांक 11.04.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ भू-स्वामी द्वारा स्वयं के स्तर पर दिनांक 01.11.2023 सीलमुक्त कर लिया गया।
18.	पीआरएन-साउथ	भूखण्ड सं. ए-7 न्यू सचिवालय विहार जयपुर	03.09.2022	बिना जविप्रा की स्वीकृति-अनुमोदन के बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन करते हुए पुराने बने प्रथम तल जिसमें 03 दुकाने बनी हुई थी प्रथम व द्वितीय फ्लोर पर अवैध वृहद व्यावसायिक निर्माण किये जाने पर दिनांक 03.09.2022 को सील किया गया था।	मा. अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में दायर अपील सं. 800/22 में परित निर्णय दिनांक 09.11.2022 एवं राजस्थान सरकार, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा दिनांक: 14.07.2022 को जारी एस.ओ.पी. की पालना की शर्तों के साथ भू-स्वामी द्वारा स्वयं के स्तर पर सीलमुक्त कर लिया गया।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-2572515) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7214}; फैक्स- +91-141-2575151